**आर्थिक वसीयतदार द्वारा प्रबन्धन आदेश हेतु वाद**

**(Suit for Administration by Pecuniary Legatee)**

न्यायालय ............

वाद नंबर ............ सन् .............

अ०ब०स० ............ वादी

**बनाम**

स०द० फ० ............ प्रतिवादी

उपरोक्त नामित वादी निम्न प्रकार सविनय निवेदन करता है :

1. यह कि श्री .... .... पुत्र श्री ......... निवासी ....... का दिनाँक ......... को स्वर्गवास हो गया था—उसने अपनी वसियत दिनाँक ......... के द्वारा प्रतिवादी व एक अन्य ......... जो उसके जीवन काल में ही मर गया था, को अपना निष्पादक नियुक्त किया था—उसने अपनी चल व अचल सम्पत्ति की निष्पादक के न्यास में वसीयत इस प्रकार की थी कि सम्पत्तियों से आने वाले किराया व आय को वादी के जीवन काल में वादी को देंगे और उसकी मृत्यु पर उसका 21 वर्ष का पुत्र या 21 वर्ष की पुत्रियाँ विवाहित पुत्री होने के व्यति क्रम हो जाने पर न्यास के अनुसार वादी की मृत्यु पर, उपरोक्त के अनुसार उसकी सन्तान असफल होने पर वसीयतकर्ता के निर्वसीयत मरने पर अचल सम्पत्ति का वसीयतकर्ता के विधिक उत्तराधिकारीगण व चल सम्पत्ति का निकटतम कुल्य को भुगतान होगा।
2. यह कि प्रतिवादी द्वारा वसीयत दिनांक .......... को साबित किया गया था और वादी अविवाहित है।
3. यह कि वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय वह चल व अचल सम्पत्ति का अधिकारी था-प्रतिवादी द्वारा अचल सम्पत्ति का किराया प्राप्त करके रसीद निर्गत की गई और चल सम्पत्ति प्राप्त कर ली गई थी-उसके द्वारा अचल सम्पत्ति का कुछ भाग दिनाँक ......... को बेच लिया गया है-वादी के नोटिस को दिनाँक ......... को प्राप्त करने के बावजूद प्रतिवादी ने वादी का कुछ भुगतान नहीं किया है।
4. यह कि वाद का कारण वसीयत दिनाँक ......... के द्वारा प्रतिवादी को निष्पादक नियुक्त करने, किराया प्राप्त करने दिनाँक ......... को अचल सम्पत्ति का कछ भाग बेचने के दिनाक ......... को व नोटिस दिनाँक ......... को प्राप्त कर लेने से माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ और माननीय न्यायालय को श्रवण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है ।
5. यह कि वाद का मूल्यांकन क्षेत्राधिकार के वास्ते रु० ............. और न्याय शुल्क के वाला रु० ............ किया जाता है । तदानुसार न्याय शुल्क भुगतान किया जाता है

**अनुतोष की माँग :**

वादी निम्न प्रकार माँग करता है :

1. यह कि श्री ............ की चल और अचल सम्पत्ति का प्रबन्धन न्यायालय की डिक्री के आधार पर हो और उसके सम्बन्ध में सभी आवश्यक निर्देश दिये जायें और उसका सम्पूर्ण जोखा माँगा जाए।

2. वह अनुतोष जो न्यायालय द्वारा केस की प्रकृति को देखते हुए आवश्यक समझा जाए, दिलाया जावे।

**दिनांक**…….. **वादी…..**

**द्वारा अधिवक्ता……**

**सत्यापन**

मैं कि ............ वादी प्रमाणित करता हूँ कि वाद पत्र के पैरा 1 से 3 मेरी निजी जानकारी पर आधारित हैं जो सत्य हैं और पैरा 4 व 5 कानूनी सलाह पर आधारित हैं जो मेरे विश्वास में सत्य हैं

**सत्यापन :-दिनांक ............ दिन ............ स्थान ............ (वादी)**